

ऑनलाईन में प्रविष्ट त्रुटीपूर्ण जमाबन्दी में त्रुटीयों का निराकरण हेतु राजस्व उप-निरीक्षक का प्रतिवेदन।

संज्ञा - खेती खाता नं - 201

हल्का नं - IX

01. आवेदित भूमि खतियान के अनुसार रैयती भूमि है तो रैयत का पूर्ण विवरण (ककालन खतियान की है)	इरिका सिंह को मुफ्त सिंचन के खतियान का रकबा 295 2972 0.12 ए 0.06 ए
02. खतियान में दर्ज सभी प्लॉटों की संख्या एवं उसकी कुल रकबा	खतियान उपलब्ध नहीं है अभि ककालन खतियान की है
03. ऑनलाईन खतियान इन्ट्री के अनुसार कुल प्लॉटों एवं कुल रकबा का ब्यौरा	ऑनलाईन खतियान इन्ट्री नहीं है
04. क्या आवेदित भूमि आवेदक के नाम से है या किसी अन्य के नाम से है ?	आवेदित भूमि आवेदक के नाम से है
05. यदि आवेदक के नाम से भूमि नहीं है तब आवेदित भूमि किस रैयत से प्राप्त है। तथा आवेदक के बीच क्या संबंध है?	लागु नहीं
06. आवेदित भूमि का ऑफलाईन पंजी II में जमाबन्दी कब से एवं किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम है?	ऑफलाईन पंजी II में जमाबन्दी वर्ष 2009-10 में कायम की गई है। पिछले सक्षम पदाधिकारी का आदेश वर्ष 2009-10
07. आवेदित भूमि का लगान रसीद कब - कब निर्गत हुआ है?	वर्ष 2009-10
08. ऑनलाईन पंजी II में आवेदित भूमि की स्थिति क्या है?	ऑनलाईन पंजी II में वर्ष 108 और 16 में जमाबन्दी कायम है परन्तु खतियान
09. ऑनलाईन पंजी II में आवेदित भूमि के खाता का कुल रकबा कितना है?	खतियान उपलब्ध नहीं है आवेदित भूमि के खाता का कुल रकबा 213-83 8705
10. आवेदित भूमि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये भू-दस्तावेज में वर्णित रैयत को भूमि किस आधार पर प्राप्त है?	रैयत की रूनि नकल नं - 3622 दिनांक 18-05-1990 द्वारा खरीदी गई प्राप्त है
11. यदि आवेदन में कोई खाता सामिल हो तो वैसी स्थिति में खाता वार उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर प्रतिवेदन।	लागु नहीं

आवेदित भूमि में प्लॉट इन्ट्री की स्थिति की जांच के लिए आवेदक को 5-3-2020

20/01/2020
राजस्व उप-निरीक्षक